28/08/24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
अप्रार्थी-01 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र
स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से शामिल किया गया। पत्रावली बाद
हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

✓

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अ०नि०
हरिसिंह

शिवबक्स पत्नी
जगदीश पुत्र अमीलाल
जाति जाट सा० ढाणी
गोपालपुरा

GCMS
2024/503

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: कन्हैयालाल सौनगरा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 211 / 24 GCMS :- 2024/503 दायर दिनांकः– 27.08.2024

1– विजयपाल पुत्र श्री शंकरलाल
2–रामदयाल पुत्र श्री शंकरलाल
3–विनोद कुमार पुत्र श्री शंकरलाल
अकवाम विश्नोई साकिनान भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

–––––प्रार्थीगण

बनाम

1– हरिसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति चमार साकिन भिरानी तहसील भिरानी जिला सिरसा हरियाणा
2–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री कमलदत्त शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण
2– श्री मूलचन्द शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी न0 1
3– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी नं0 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 20.08.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , अप्रार्थी नं0 1 का अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 एल एम तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 146/170 के प0न0 2/62 मु0न0 73 के किला न0 15/0.253 है0 क0, , प0न0 22/6 मु0न0 72 के किला न0 6 ता 13/2.024 है0 क0 , प0न0 22/14 मु0न0 71 के किला न0 10/0.253 है0 क0 कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 2 एल एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 186/142 के प0न0 22/6 मु0न0 72 के किला नं0 15 ता 25/1 में 2.528 है0 अ0क0, प0न0 22/14 मु0न0 71 के किला नं0 2 ता 9, 11 ता 25/1 में 5.564 है0 अ0क0 कुल 8.092 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 2 एल एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 22/6, 22/14 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में चल रहे गै0मु0 रास्ता से होकर प0 न0 22/6 मु0न0 72 के किला न0 21 में 0.020 है0 पश्चिमी पासा , किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण में आवागमन लगभग 10 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन वर्तमान में चल रहा उक्त रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू उक्त रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने परेशानी होती है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 की भूमि वाके चक 2 एल एम के प0 न0 प0 न0 22/6 मु0न0 72 के किला नं0 21 में 0.020 है0 पश्चिमी पासा , किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान कांश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का बख्तावरपुरा द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 जरिये अभिभाषक मूलचन्द शर्मा उपस्थित हुआ ।

अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यो पर सहमति देने हुये अपने जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया कि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी स0 1 को कोई उज्र व एतराज नही है इस बाबत अप्रार्थी सं0 1 ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं0 1 उक्त रास्ता स्वीकृत करने में सहमत है ।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नही है । प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 की भूमि वाके चक 2 एल एम के प0 न0 प0 न0 22/6 मु0न0 72 के किला नं0 21 में 0.020 है0 पश्चिमी पासा , किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण रास्ता से आवागमन किया जा रहा है । अप्रार्थी सं0 1 स्वयं अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृति हेतू सहमत है एवं सहमति हेतू शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी नं0 1 उक्त रास्ता के बदला में कोई मुआवजा या प्रतिफल नही लेने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 1 की भूमि वाके चक 2 एल एम के प0 न0 प0 न0 22/6 मु0न0 72 के किला नं0 21 में 0.020 है0 पश्चिमी पासा , किला न0 20 में 0.025 है0 पश्चिमी पासा भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । शेष अंकन यथावत रहेगा। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.08.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)